संख्या–245 / उन्तीस(2)07–2(117पे0) / 2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2008

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं (सामान्य) के पुनर्गठन / जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1716 / उन्तीस(2) / 07–2(117पे0) / 2007 दिनांक 21.09.2007 के क्रम में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यालय, पत्र संख्या 4945 / वि0अनु0 / 02 / अनुदान / 2007–08 दिनांक 06.12.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं (सामान्य) के पुनर्गठन / जीर्णोद्धार एंव रख–रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपदवार निम्नलिखित विवरणानुसार कुल रू0 506.21 लाख (रू0 पॉच करोड़ छः लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	02	03	04
01	देहरादून	235.00	58.00
02	पौड़ी	349.50	42.50
03	चमोली	175.96	52.04
04	रूद्रप्रयाग	180.40	36.60
05	टिहरी	373.00	56.00
06	उत्तरकाशी	256.75	55.25
07	हरिद्वार	85.00	22.00
	योग गढ़वाल	**1655.61**	**322.39**
08	नैनीताल	126.38	32.62
09	उधमसिंहनगर	174.50	45.50
10	अल्मोड़ा	205.25	29.75
11	बागेश्वर	135.30	27.70
12	पिथौरागढ़	256.75	14.25
13	चम्पावत	240.00	34.00
	योग कुमॉऊ	**1138.18**	**183.82**
	कुल योग	**2793.79**	**506.21**

2

2– जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार आहरण के पूर्व जनपदवार जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एंव योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा। परिव्यय से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा। पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्ण या 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के बाद ही इस धनराशि का कोषागार में आहरण किया जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए जनपद की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो तथा अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत हों। स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त हों। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि दैवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

8– योजना की लागत के सापेक्ष सेंटेज चार्जेज वर्तमान में प्रचलित 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जायेगा। यदि इससे अधिक सेंटेज लेना पाया जाता है तो इस हेतु विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–13 के लेखाषीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई 01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–91–जिला योजना–02–ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार–20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

.....3

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 738/xxvii(2)/2007 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

संख्या–2454/उन्तीस/07–2(117पे0)/2007, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान संबंधित जनपद।
7. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल।
9. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
12. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव